फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा (जिला दौसा)

रामकरण वगै॰ बनाम राज॰ सरकार वगै॰
किस्म मुकदमा : प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा
मुकदमा नम्बर : 3 / 2024

तारीख क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
.2026	पत्रावली पेश हुयी। वकील प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार दौसा का जवाब अप्राप्त। तहसीलदार दौसा को जवाब पेश करने हेतु समुचित अवसर दिये जा चुके हैं। अतः आगे और कोई अवसर दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः तहसीलदार दौसा का जवाब बन्द किया जाता है। वकील प्रार्थी ने प्रकरण में आज ही बहस सुनने का निवेदन किया। बहस सुनी गयी। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 23.01.2026 को पेश हो।	
30/1/26	आज साहब अन्य काम में / मीटिंग / दौरे में होने से कार्यवाही दी गई। गत आदेशों की पालना में दिनांक 27/1/26 को पेश हों।	
27/1/26	आज साहब अन्य काम में / मीटिंग / दौरे में होने से कार्यवाही दी गई। गत आदेशों की पालना में दिनांक 30/1/26 को पेश हों।	
30/1/26	आज साहब अन्य काम में / मीटिंग / दौरे में होने से कार्यवाही दी गई। गत आदेशों की पालना में दिनांक 3/2/26 को पेश हों।	
03.02.2026	पत्रावली पेश हुयी। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में वास्ते आदेश आज की तिथि नियत है। प्रार्थीगण द्वारा इस प्रार्थना पत्र के जरिये ग्राम मित्रपुरा तहसील दौसा स्थित आराजी खसरा नम्बर 385 के संबंध में अप्रार्थी संख्या 2 के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है। प्रकरण में बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति के संबंध में तथ्य निम्न प्रकार हैं :– **प्रथम दृष्टया मामला :** इस पत्रावली से संबंधित दावा पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत् 2041–2060 अनुसार ग्राम मित्रपुरा तहसील दौसा स्थित प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर	

385 रकबा 0.55 है॰ सिवायचक खाते में किस्म गै॰मु॰ मैदान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होना प्रमाणित होता है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2041 वर्तमान खसरा नम्बर 385 साबिक खसरा नम्बर 129/2 से बनना प्रमाणित होता है। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2035–2038 साबिक खसरा नम्बर 129/2 बाग व उद्यान के नाम दर्ज होना प्रमाणित होता है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होता है।

सुविधा का सन्तुलन : प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 385 रकबा 0.55 है॰ वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में सिवायचक खाते में किस्म गै॰मु॰ मैदान के रूप में दर्ज है। अतः सुविधा सन्तुलन का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होता है।

अपूर्णीय क्षति : प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा सन्तुलन का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होने के कारण अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में निर्धारित नहीं किया जाता है।

निष्कर्षतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होने के कारण प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं मूल दावा पत्रावली के हमफीता रहे।

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज०)